

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 जून 2014—ज्येष्ठ 19, शक 1936

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 07 जून 2014

क्र. एफ-1-2-2014-सात-2-ए.—मध्यप्रदेश कार्यपालन शासन के कामकाज संबंधी नियमों के नियम 13 के अधीन जारी किये गये अनुपूरक अनुदेश के अनुसरण में मंत्रीजी राजस्व विभाग के निर्देशानुसार इस संबंध में पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को अधिष्ठित करते हुए, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार क्रमांक 3 के अधीन विचाराधीन अभ्यावेदन/निगरानी प्रकरणों में पक्षकारों की सुनवाई करने तथा ऐसी समस्त कार्यवाही जो प्रकरण के अंतिम विनिश्चय तक पहुंचाने के लिये आवश्यक हो, करने के लिये मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग को अधिकृत किय जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश राजक, उपसचिव.